न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1146–पीबीआर/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–5–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 143/2008–09/अपील.

1 कमलसिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्दा
2 मु0 श्रीमती गयादेवी पत्नी स्व0 श्री हीरा
3 खेमा पुत्र स्व0 श्री लालाराम
4 बल्ला पुत्र स्व0 श्री लालाराम
5 मुखिया पुत्र स्व0 श्री लालाराम
समस्त निगरानीकर्तागण निवासी ग्राम अजयपुर
तहसील व जिला ग्वालियर म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह डोंगरा
2 विजय सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह डोंगरा
निवासी मेजर करतारसिंह कॉलोनी
पानपत्ते की गोठ कम्पू, लश्कर ग्वालियर म0 प्र0
3 कैलाश करोडिया सरपंच ग्राम पंचायत
अजयपुर तहसील व जिला ग्वालियर म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री आर0 बी0 सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 12 जून, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 17–5–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा ग्राम पंचायत अजयपुर तहसील एवं जिला ग्वालियर के ठहराव कमांक 21 दिनांक 4–2–2004 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 15–12–2005 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत किये जाने के कारण विलंब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 43/05–06/अपील दर्ज की जाकर दिनांक 22–8–2008 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से समाप्त की गई । साथ ही अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–5–2010 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को दिनांक 9–11–2005 को शिकायत के आधार पर प्रकरण चलाने की जानकारी हुई और उसके द्वारा दिनांक 15–12–2005 को ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गई थी, इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मान कर निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अवधि विधान की धारा 14 के अंतर्गत गलत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने से विलंब क्षमा किया जाना चाहिये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमियां है और उनके द्वारा उक्त भूमियों का किसी प्रकार का कोई अंतरण नहीं किया गया है, इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा अनावेदकगण का नामांतरण करने में घोर अनियमितता की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है और आवेदकगण द्वारा बिना सत्य प्रतिलिपि संलग्न किये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । इस आधार पर कहा गया कि संहिता की धारा 48 के अंतर्गत सकारण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि वह सत्य प्रतिलिपि प्रस्तु करने से छूट प्रदान करे अथवा सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु समय दे । इस प्रकरण

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु समय नहीं दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पहले समय सीमा के बिन्दु पर आदेश पारित किया जाना चाहिये, तत्पश्चात गुणदोष पर आदेश पारित करना चाहिये और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य होने से समय सीमा के बिन्दु पर आदेश पारित किया गया है, जो उचित आदेश है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण की ओर से प्रथम एवं द्वितीय अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा 1992 राजस्व निर्णय 289 में प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में उचित आदेश पारित किया गया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है और तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, इसी कारण यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क के समर्थन में 1986 राजस्व निर्णय 25, एआईआर 1969 (सु0को0) 575 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ;

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण की ओर से अपील ग्राम पंचायत के ठहराव क्रमांक 21 दिनांक 4–2–2004 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 15–12–2005 को लगभग 22 माह विलंब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की ओर से अपील मेमो में मुख्य रूप से आधार उठाया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमियां है और उसके द्वारा उक्त भूमियों का किसी प्रकार का कोई अंतरण नहीं किया गया है, इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण संबंधी प्रस्ताव ठहराव पारित किया गया है, जो अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित है । अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि जब आवेदकगण द्वारा दिनांक 28–8–2005 को पटवारी से खसरे की प्रति प्राप्त की गई तब उन्हें प्रश्नाधीन नामांतरण की जानकारी हुई । आवेदकगण द्वारा दिनांक 19–8–2005 को सत्य प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 9–11–2005 को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हुई, सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होते ही समय सीमा में अपील प्रस्तुत की जा रही है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा नामांतरण आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव की प्रतिलिपि हेतु

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु उक्त प्रतिलिपि आवेदकगण को उपलब्ध नहीं कराई गई, इसी कारण आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 48 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने से छूट चाही गई है । ग्राम पंचायत की इस पंजी को देखने से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी में केवल यह उल्लेख है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव कमांक 21 दिनांक 4–2–2004 के अनुसार अनावेदक कमांक 1 एवं 2 का नामांतरण स्वीकार किया जाता है, परन्तु इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि नामांतरण किस आधार पर और किसके स्थान पर किया गया है। चूँकि नामांतरण पंजी से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को किस प्रकार स्वत्व प्राप्त हुये है और इससे पूर्व प्रश्नाधीन भूमि का कौन भूमिस्वामी था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा के बिन्दु पर निराकृत नहीं कर गुणदोष पर निराकृत करना चाहिये थी, क्योंकि बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अवलोकन के यह नहीं ठहराया जा सकता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया नामांतरण विधिसंगत है । इसके अतिरिक्त जब तक प्रकरण में असाधारण विलंब न हुआ हो, प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया जाना चाहिये, जिससे पक्षकार को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । उपरोक्त स्थिति पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किये जाने से उनके आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत विचारणीय नहीं रह जाते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–5–2010 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–8–2008 निरस्त किये जाते हैं । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य की जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर